पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की मार्च,201 9 माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने 22 और 23 फरवरी, 2019 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में 33 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में वार्षिक कार्य योजनाओं (वर्ष 2019-20) को मंजूरी दी। अग्रिम रूप से वार्षिक कार्य योजनाओं की मंजूरी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उन्हें पूरे वर्ष भर का समय देने की अनुमति देगा। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे साल भर के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की संबंधित समय-सीमा के साथ एक कैलेंडर तैयार करें ताकि उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके और वर्ष के उत्तरार्द्ध में गतिविधियों की जल्दबाजी में पूरा करने की संभावना को कम किया जा सके। आरजीएसए के तहत वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान, असम और नागालैंड को दूसरी किस्त के लिए 57.96 करोड़ रुपए जारी किए गए।

2. सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म पर आरजीएसए की योजना की निगरानी में सुधार के लिए, मंत्रालय ने 19 मार्च, 2019 को पायलट आधार पर कुछ चुनिंदा राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , जम्मू और कश्मीर और तमिलनाडु के साथ एक संवादात्मक चर्चा और प्रशिक्षण का आयोजन किया। सीजीए के कार्यालय के पीएफएमएस विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण आयोजित किया और राज्यों द्वारा कार्यान्वयन स्तर पर व्यावहारिक मुद्दों / बाधाओं को हल किया।

3. इसको ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक विकास का मूल घटक बच्चों के स्वस्थ विकास और विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना है, वर्ष 2018-19 के दौरान, ग्राम पंचायत प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत प्रत्येक राज्य के लिए बाल-सुलभ प्रथाओं को अपनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों / ग्राम सभाओं (वीसी) के लिए 'बाल-हितैषी ग्राम पंचायत' नामक एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है । इस पुरस्कार के तहत नामांकन राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से आमंत्रित किए गए हैं।

4. महीने के दौरान एमओपीआर ने वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को एफएफसी के तहत वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जम्मू एवं कश्मीर को मूल अनुदान की दूसरी किस्त 203.81 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए असम को 467.80 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की पहली किस्त, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मणिपुर को मूल अनुदान की पहली किस्त 20.585 करोड़ रुपये, राजस्थान और झारखंड को मूल अनुदान की दूसरी किस्त क्रमश: 1362.11 करोड़ रुपए और 604.12 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की है। एमओपीआर ने निष्पादन अनुदान की भी सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए तेलंगाना को 119.28 करोड़ रुपए उत्तराखंड को 41.78 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्नाटक को 233.69 करोड़ रुपए निष्पादन अनुदान जारी करने की सिफारिश की है।

5. महीने के दौरान वित्त मंत्रालय(एमओएफ) ने एफएफसी के तहत वर्ष 2018-19 के लिए मणिपुर को मूल अनुदान की पहली किस्त 20.585 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत मूल अनुदान के कुल आवंटन 29,942.87 करोड़ रुपए की तुलना में कुल निर्मुक्ति 29,209.14 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2017-18 के दौरान यह 34,596.26 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 32,157 करोड़ रुपए था। वर्ष 2018-19 के लिए यह कुल आवंटन 40,021.63 करोड़ रुपए की तुलना में 3,3,393.15 करोड़ है। वर्ष 2016-17 के लिए कुल निष्पादन अनुदान के कुल आवंटन 3,927.65 करोड़ रुपए की तुलना में 3,499.45 करोड़ रुपए जारी किए गए। वर्ष 2017-18 के लिए कुल आवंटन 4444.71 करोड़ रुपए की तुलना में 1,106.90 करोड़ रुपए जारी किए गए।

6. चयनित राज्यों में ग्राम पंचायतों को एफएफसी अनुदान के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन को आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) को सौंपा गया है। सोलह राज्यों में 120 ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन की रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

7. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमए) को अपनाने के लिए राज्यों का शिद्दत से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायत / विक्रेता पंजीकरण को प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने के लिए राज्यों का अनुसरण करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस का संचालन किया। वर्ष 2017-18 के लिए, 93% ग्राम पंचायतों ने अपने खाता-बही बंद

कर दी हैं और 2,29,873 ग्राम पंचायतों को पीएफएमएस पर पंजीकृत किया गया है, जबकि शेष ग्राम पंचायतों में इसके लिए प्रक्रिया चल रही हैं। लगभग 1, 21,919 ग्राम पंचायतों ने पहले ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) खरीद लिया है। राज्यों ने वर्ष 2018-19 के लिए खाता- बही को भी बंद कर दिया है।

8. एनआईसी के जीआईएस विभाग के साथ 27 मार्च, 2019 को स्थानिक योजना अनुप्रयोग - ग्राम पंचायत एटलस की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए एक बैठक और एक प्रस्तुति का आयोजन किया गया था। इस अनुप्रयोग की परिकल्पना ग्राम पंचायत स्तर पर भौगोलिक डेटा का उपयोग कर सतत विकास के लिए आयोजना के लिए उपयोगकर्ताओं की सुविधा और समर्थन करने के लिए की गई है। अनुप्रयोग की कई विशेषताओं- ग्राम पंचायत की मौलिक जानकारी , नेविगेशन उपकरण, निकटता विश्लेषण और विभिन्न मंत्रालयों की डेटा लेयर का प्रदर्शन किया गया।

******

Ministry panchayati Raj

Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of March, 2019

1. The Central Empowered Committee (CEC) of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) approved the Annual Action Plans (2019-20) in respect of 33 States/UTs in its 3rd Meeting held on 22nd& 23rd of February, 2019. This initiative for approval of the Annual Action Plans well in advance will allow the States/UTs to have the full year for implementation of the approved activities. The States have also been advised to draw up a calendar of activities to be undertaken through the year, with respective timelines so as to ensure proper monitoring and to obviate the possibility of rush of activities in the latter part of the year. Funds to the tune of Rs. 57.96 crores were released towards second instalment to the States Jammu & Kashmir, Kerala, Rajasthan, Assam and Nagaland for the year 2018-19 under RGSA.

2. To improve the monitoring of the scheme of RGSA on Public Finance Management System (PFMS) platform, the Ministry conducted an interactive discussion and hands-on training on 19th of March, 2019 with few selected States namely West Bengal, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Jammu and Kashmir, and Tamil Nadu on pilot basis. PFMS Experts from office of CGA conducted the training and sorted out the practical issues/hurdles faced at the implementation level by the States.

3. Keeping in view that the basic component of social development is to create a conducive atmosphere for the healthy growth and development of children, during the year 2018-19, a new award namely 'Child-friendly Gram Panchayat Award' has been instituted under the Incentivization of Panchayats scheme for best performing GPs/Village Councils (VCs) for adopting child-friendly practices one for each state. The nominations under this award have been invited from the State Governments/Union Territory Administrations.

4. During the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of 2nd instalment of Basic Grant under FFC of Rs. 203.81 crore to Jammu & Kashmir for FY 2016-17, 1st instalment of Basic Grant of Rs. 467.80 crore to Assam for FY 2017-18, 1st instalment of Basic Grant of Rs. 20.585 crore to Manipur for FY 2018-19, 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 1362.11 crore to Rajasthan and Rs. 604.12 crore to Jharkhand for FY 2018-19. MoPR has also recommended performance Grant of Rs. 119.28 crore to Telangana and Rs. 41.78 crore to Uttrakhand for FY 2017-18 and Rs. 233.69 crore to Karnataka for FY 2018-19.

5. During the month, MoF released 1st instalment of Basic Grant of Rs. 20.585 crore to Manipur for FY 2018-19 under FFC. The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 was Rs. 29,209.14 crore against the allocation of Rs. 29,942.87 crore. During 2017-18 it was Rs. 32,157 crore against the allocation of Rs. 34,596.26 crore and it is Rs.33,393.15 crore against the allocation of Rs.40,021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3,499.45 crore against the allocation of Rs. 3,927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1,106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore for the year 2017-18.

6. The Study on impact evaluation of FFC Grants to Gram Panchayats in selected States has been assigned to Institute of Economic Growth (IEG). The Study will be carried out in sixteen States by covering through survey at 120 Gram Panchayats. The report of the study will be submitted within six month.

7. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regards, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for FY 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 93% of the Gram Panchayats have closed their account books and 2, 29,873 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 1, 21,919 GPs have already procured Digital Signature Certificates (DSCs). States have also commenced closure of account books for the year 2018-19.

8. A meeting and a demonstration was held with the GIS division of NIC to review and assess the Spatial Planning Application – Gram Panchayat Atlas on March 27, 2019. The Application is envisaged to facilitate and support users to perform planning at gram panchayat level with the use of geographic data for sustainable development. Several features of the Application were demonstrated viz. Basic information of Gram Panchayat, Navigation tool, Proximity Analysis, and Data layers from different Ministries.